Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/236
Peer Reviewed & Refereed Journal, JULY-AUG 2024, Vol- 13/84

महिला आरक्षण बिल की गूँज: पंचायत से लेकर संसद तक (आलोचनात्मक अध्ययन)

आकांक्षा सोनी

रिसर्च स्कालर, डिपार्टमैंट ऑफ लॉ, एल एन सी टी यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्यप्रदेश)

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था रही है| पंचायतों मे महिलाओ को आरक्षण देने की शुरुवात, महिलाओ को सशक्त बनाने का प्रतीकात्मक कदम मात्र था और इससे उन्हे कोई वास्तविक शक्ति हासिल नहीं हुई| 73 वे और 74 वे संविधान संशोधन 1992-1993 से लेकर नारी शक्ति बंदन अधिनियम 2023 के लागू होने तक, के बाबजूद महिलाओ को राजनीतिक आरक्षण देने के स्पष्ट सकारात्मक प्रभावों के बाद भी, वो ऐसी संस्थागत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करती है, जो उनके पुरुष समकक्षों से अलग होती है| दुर्भाग्य की बात है की आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा के उच्च स्तर, राजनीतिक जागरूकता और रोजगार के बाबजूद महिलाओ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रफ्तार कम रही है| इसकी मुख्य वजह ये है कि समाज के एक बड़े हिस्से ने अपनी पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को बरकरार रखा है। आरक्षण व्यवस्था के बाबजुद भी महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता अत्यंत कम रहती है इसके मुख्य कारण महिलाओ और पुरुषों के बीच असमानता, आत्मनिर्णय का अधिकार न होना, राजनीतिक निर्णयन प्रक्रिया मे लैंगिकता सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण अंतर विधमान है, ऐसे मे किशोर लड़कियों को राष्ट्र निर्माण मे योगदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु महिला नेताओ की भागीदरी होना अत्यंत आवश्यक है| प्रस्तुत शोध - पत्र आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जागरूकता और भागीदारी का सीमांकन करके प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतो पर आधारित है, यह शोध– पत्र ग्रामीण एवं शहरी महिलाओ के लिए आरक्षण व्यवस्था के बाबजुद भी सक्रिय भागीदारी न होने के लिये जिम्मेदार कारकों पर प्रकाश डालता है|

की-वर्ड :- *नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था, महिला सहभागिता, आरक्षण व्यवस्था*

प्रस्तावना

लिंग, वर्ग, धर्म या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव के बिना महिलाओ को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार देना "महिला सशक्तिकरण" कहलाता है| किसी राष्ट्र के विकसित होने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है| भारत उन देशों मे से एक है जहां महिलाये सुरक्षित नहीं है| भारत की पौराणिक कथाये महिलाओ को देवी का दर्जा देती है| देवी-देवताओ की पूजा की जाती है और उन्हे हमारे घर मे प्रथम स्थान दिया जाता है लेकिन जब बात महिलाओ की आती है तो उन्हे मौलिक अधिकार भी नहीं दिये जाते|

1988 मे, महिलाओ के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने सुझाव दिया की महिलाओ को पंचायत से लेकर संसद स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाए| तदनुसार, संविधान मे 73 वे ओर 74 वे संशोधन पारित किए गए जिसके

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से महिलाओ के लिये पंचायती और शहरी निकायों की एक तिहाई सीटे आरक्षित करनी पड़ी| वर्तमान मे केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य कई राज्यों मे स्थानीय निकायों मे महिलाओ के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये कानूनी प्रावधान करते है| 1992 मे, पी बी नरसिम्हा राव सरकार ने 73 वे ओर 74 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित किया, जिसमे पंचायती राज संस्थानों मे महिलाओ के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित करना अनिवार्य था| तीन दशक से अधिक समय के बाद, 128 वे संविधान संशोधन अधिनियम को, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है इसके अंतर्गत महिलाओ को लोकसभा, राज्य विधानसभाओ और दिल्ली विधानसभा मे एक तिहाई सीटे आरक्षित करता है परंतु क्या यह संभव है की इस पुरुष प्रधान समाज मे पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओ को जो आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है वो पूर्ण रूप से महिलाओ को सशक्त बनाने मे सफल होगी| आमतौर पर ये सुनने को मिलता है कि महिलाये समाज की जननी होती है और समाज की प्रगति महिलाओ के विकास पर निर्भर करती है| यदि एक माँ सशक्त होती है तो एक परिवार और अंतता पूरा समाज भी सशक्त होता है| महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओ की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है| सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र मे महिलाओ की भागीदारी को आवश्यक समझा गया| इतिहास बताता है कि भारत मे महिलाओ की राजनीतिक भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन यह आकड़ा न्यूनतम है| भारतीय संविधान के अनुछेत 40 मे ग्राम पंचायत को संविधान के भाग 4 मे शामिल किया गया है जिसमे राज्य के नीति के निदेशक तत्व शामिल है| मई 1089 मे, केंद्र सरकार ने विधेयक पेश किया, जिसमे लगातार स्वीकृत पंचायती राज का प्रस्ताव रखा गया| बलवंत राय मेहता समिति ने टिप्पडी की, कि पंचायती राज, विकास गतिविधियों मे गॉव के प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करेगी| महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत महिलाओ के लिए सीटे आरक्षित करने का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया है की ऐसा करना संविधान मे शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उलग़न है| उनका दावा है की यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाये योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, जिससे समाज मे उनका दर्जा कमतर हो सकता है, इसी विरोधाभास के चलते आरक्षण मिलने के बाद भी महिलाओ की सक्रियता राजनीति मे पूर्ण रूप से नहीं है और आगे भी संभावना कम है| 73 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993 हमारे देश मे जमीनी स्तर पर राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्र मे परिवर्तन मे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होना माना गया है इसके साथ ही साथ नारी शक्ति बंदन अधिनियम 2023 को भी महिलाओ की राजनीतिक सक्रियता मे बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से लाया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के जाति व भेशभूसा धारण करने बाले लोग निवास करते है| यह नारी के प्रति अत्याचार और बलात्कार का प्रयास हमारे समाज की एक शर्मनाक समस्याए है| किसी समाज मे व्याप्त अंधविश्वास व रुणीवादिता जैसे बुराई किसी भी देश की प्रगति को पीछे धकेल देती है| अपेक्षा की जाती है की वर्ष 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6% की तुलना मे 6.8% की दर से विकास करेगी लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बाबजुद देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज मे महिलाओ की भागीदरी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है|

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोध- पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्त्रोतों पर आधारित है| पंचायत से लेकर संसद स्तर तक महिलाओ के लिए आरक्षण व्यवस्था होने के उपरांत पंचायत, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओ मे महिलाओ की भागीदारी के संबंध मे प्राथमिक स्त्रोत को एकत्र करने के लिए एक मानक प्रश्नावली का उपयोग किया गया है| द्वितीयक समांकों के लिए वार्षिक पुस्तिकाये, प्रतिवेदन, जनगणना, प्रकाशित पुस्तकों, संपादकीय, प्रकाशित लेखों, अखवारों (दा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण) तथा अन्य के माध्यम से शोध के संदर्भ मे आकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है| 1992-1993 संशोधन अधिनियम के बाद पंचायत मे महिलाये पूर्ण रूप से सक्रिय क्यू नहीं हुई है तथा उन समस्याओ का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है जिसके कारण आरक्षण के बाद भी महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता मे बढ़ोतरी नहीं हो रही है | प्रस्तुत शोध-पत्र मे पंचायत से लेकर संसद स्तर तक जो आरक्षण व्यवस्था महिलाओ के लिए की गई है उसके तदोपरांत भी राजनीतिक सक्रियता मे कमी क्यू है? के संवध मे जिम्मेदार कारकों के संदर्भ मे विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है|

साहित्य की समीक्षा

राजनीति मे महिलाओ के लिए आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से विमर्श का अंग रहा है जिसके चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मे ढूढे जा सकते है| महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1930 के दशक मे ही (जबकि आरक्षण पद्धति का बहुत विरोध था) समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों के सशक्तिकरण के लिए दलित आरक्षण को स्वीकार कर लिया था| इसी प्रकार दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 मे सरकारी नौकरियों मे आरक्षण निर्धारित कर दिया था| अब सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिला सशक्तिकरण का वीणा उठाया है कम से कम भारतीय राजनीति मे तो आरक्षण को ही पिछड़ो के सशक्तिकरण का उपाय मान लिया गया है दलित हो या पिछडी जातिया या महिला, हर पिछड़े वर्ग के लिए भारत के संविधान मे आरक्षण का माध्यम चुना गया है| देश मे करीब 660 जिला पंचायतों, 6900 माध्यमिक पंचायतों, 2.6 लाख ग्राम पंचायतों मे 32 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिसमे से 46% महिला प्रतिनिधि है| फिलहाल लोकसभा मे 543 सीटे है| 33% आरक्षण मिलने के बाद 180 सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित है| 2019 के आम चुनाव मे इस संख्या से आधी से भी कम सीटों पर महिलाये जीतकर संसद पहुची थी कुल 78 महिलाये ही लोकसभा मे जीतकर पहुची थी यह कुल सदस्यों का 14% है| नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा मे महिलाओ के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित करता है| यह लोकसभा और राज्य विधानसभा मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर लागू होगा| लोकसभा मे 82% महिला सांसद 15.2% और राज्यसभा मे 31 महिलाये 13% है|

जबकि पहली लोकसभा 5% के बाद से यह संख्या काफी बढ़ी है लेकिन कई देशों की तुलना मे अभी भी कम है| हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आकड़ों के अनुसार, रवांडा (61%), क्यूबा (53%), निकरगुया (52%) महिला प्रतिनिधित्व मे शीर्ष तीन देश है| महिला प्रतिनिधित्व के मामले मे बांग्लादेश (21%) और पाकिस्तान (20%) भी भारत से आगे है| पिछले कुछ समय से भारत मे हो रहे चुनावों मे महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ते हुए देखा आगे

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

है इसके बाबजुद देश के सबसे बढ़े और प्रमुख सेक्टरों मे महिलाओ की कमी एक बाद सवाल खड़ा करती है| यह सवाल है कि आखिर हम किन स्तरों पर चीजों को अनदेखा कर रहे है, जो राजनीति और ब्यूरोक्रेसी मे महिलाओ की हिस्सेदारी कम हो रही है| 2023 के आकड़ों के अनुसार, ईसीआई ने कहा कि आजादी के बाद से, लोकसभा मे महिलाओ के प्रतिनिधित्व का स्तर 10% बढ़ने मे भी कामयाब नहीं हुआ| जेन्डर डिसपैरिटी किसी एक क्षेत्र मे नहीं है| यह राजनीतिक परिद्रश्य मे भी बखूबी दिखाई देती है| महिलाओ को हर क्षेत्र मे कम आँका जाता है और साथ ही साथ कम पारिश्रमिक, सीमित संसाधन और नेटवर्किंग के सीमित रास्ते उन्हे मिलते है| यह विषमता महिलाओ के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप मे खड़ी है| सरकार द्वारा महिलाओ के लिए आरक्षण प्रदान किया गया लेकिन लेकिन इस पित्रासत्तात्मक देश मे महिलाओ के लिए क्या सही है क्या नहीं है यह पित्रासत्तात्मक समाज पहले ही तय कर चुका है इसी कारण आरक्षण के बाबजुद भी महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता हमेशा से कम रही है| आजादी के बाद से ही लाख कोशिशों के बाबजुद राजनीति मे महिलाओ की कुल भागीदारी का आकडा सुखद संदेश देता नहीं दिखाई दे रहा है| इन्टर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 वी लोकसभा मे कुल सदस्यों मे महिलाओ का आकड़ा केवल 14.44% था| निर्वाचन आयोग की अकतूबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार संसद के सभी सदस्यों मे महिलाओ का प्रतिनिधित्व केवल 10.5% है| राज्य विधानसभाओ मे तो स्तिथि और खराब है और केवल 9% महिला विधायक है| इन्टर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट मे संसद मे महिलाओ के प्रतिनिधित्व के मामले मे भारत दुनिया भर के 193 देशों मे 144 वे नंबर पर है| 2023 मे लोकसभा मे 82 महिला सांसद थी जो कुल सदस्यों के मुकाबले 15.2%, ऐसे ही राज्यसभा मे 31 महिलाओ का आकड़ा कुल सदस्यों का केवल 13% थी| देश मे पहली लोकसभा मे केवल 5% महिला सांसद थी| इसीलिए यह कहा जा सकता है कि इस आकडे मे काफी बढ़ोतरी हुई है पर दुनिया के कई देशों के मुकाबले हम अभी भी काफी पीछे है| यू तो महिलाये राजनीति के उच्च शिखर पर पहुच चुकी है, लेकिन उन्हे राजनीति मे वह सम्मान आज तक नहीं मिल सका है, जिसकी वह हकदार है और तो और देश की राजधानी मे जहां देश की संसद है और जहां से देश की सरकार चलती है उसस दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे भी राजनीति मे महिलाओ की भागीदारी की स्तिथि अच्छी नहीं है| यह जानकर हैरानी होगी की मौजूद समय मे दिल्ली एनसीआर की 13 लोकसभा सीटों मे से केवल दिल्ली की एक सीट पर ही महिला सांसद नहीं है| नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को अलग कर दिया जाए तो अन्य एक भी सीट पर महिला सांसद नहीं है| राजनीति मे महिलाओ की दशा बताने के लिए दिल्ली एनसीआर का उदाहरण ही काफी है|

परिणाम एवं निष्कर्ष

देश की पंचायती राज व्यवस्था जब 30 वे वर्ष मे प्रवेश कर चुकी है और महिलाओ को पंचायत और संसद दोनों मे आरक्षण लागू कराया जा चुका है तब सच्चाई ये है कि महिला के आरक्षित पद पर जीते महिला जनप्रतिनिधि के पति, परिवार के दबंग पुरुष उस पद पर डी-फ़ैक्टो आसीन होकर राज कर रहे है| किसी भी महिला के जीतने पर लोग उस महिला को कम बल्कि उसके पति, पिता, ससुर को अधिक बधाई देते है| क्या पुरुष प्रधान समाज मे जनप्रतिनिधि मात्र बनने से महिलाओ का सशक्तिकरण हो सकता है? रिपोर्ट एवं रिसर्च की माने तो महिलाओ के सशक्तिकरण एवं हिस्सेदारी के बीच कोई सीधा संवध नहीं दिख रहा है| जनप्रतिनिधि बनने के बाद केवल 5-10%

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

महिलाये ही घर की दहलीज पार कर राजनैतिक भागीदरी दे रही है| अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र मे अपने पहले सम्बोधन मे कहा था कि किसी देश मे लोकतंत्र का स्तर महिलाओ के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है केवल चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता, निर्णय लेने की शक्ति मिली या नहीं, उस शक्ति के सदुपयोग करने के लिए किस तरह का वातावरण मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है| महिलाओ को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग होने से बचाए जिससे जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है उसको अपनी ताकत बनाए, कही "प्रधानपति" वाला कल्चर संसद तक न पहुच जाए, जो पंचायत चुनावों मे मिले आरक्षण मे होता है जहां महिला प्रधान चुनी जाती है और प्रधानी उनके पति करते है क्योंकि भारत एक गहन पित्रासत्तात्मक समाज है और महिलाओ को प्राय: पुरुषों से हीन समझा जाता है|

संदर्भ ग्रंथ सूची

बीजू एम आर (2006), महिलाओ की राजनीति ने भारत मे आरक्षण, महिला सशक्तिकरण मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली|
सेठ, प्रवीण : वुमन इम्पावरमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कर्णावती पब्लिकैशन 1998
बुच निर्मला, महिलाओ हेतु नियोजन की चुनौतिया, योजना वर्ष 56 अंक 8, 2012
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
मनोहर, सुजाता वी, महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए निरंतर सतर्कता एवं जागरूकता की आवश्यकता
श्रीनिवास, एम एन, सोशल चेंज इन मोरडर्न इंडिया, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि, नई दिल्ली 1966
महिपाल, पंचायत मे महिलाये, चुनौतिया और संभावनाए 2019
चट्टोपाध्याय, अरुंधती : भारतीय राज्यों मे स्त्री सशक्तिकरण योजना, नई दिल्ली 2012
मोहंती, विददुत एवं नारायण शशि, वुमन एंड पोलिटिकल इंपावरमेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, नई दिल्ली 2003
अस्थाना, प्रतिमा : वुमन मूवमेंट इन इंडिया, विकास पब्लिशिंग नई दिल्ली
सिंह वंदना, भारतीय समाज मे महिलाओ की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता के उभरते आयाम, पीएचडी शोधगरन्थ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 2004
पुलखा शिवानी, पार्टिसपैशन ऑफ वुमन इन पंचायती राज 2010
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010, इंपोआर्मेन्ट ऑफ वुमन थ्रू पंचायती राज
महानता उपासना एंड सिंह सम्राट, द पोलिटिकल इंपोआर्मेन्ट ऑफ मनॉरटी वुमन थ्रू पंचायती राज, 2007
काठीला गंगेश्वर, रुरल वुमन पार्टिसपैशन इन इलेक्टरल पॉलिटिक्स, 2012
द टाइम्स ऑफ इंडिया
हिंदुस्तान टाइम्स
नव भारत टाइम्स
दैनिक जागरण
अमर उजाला
संपादकीय
विकिपिडिया
शोधगंगा

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies